अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इंगित किये गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच प्रारंभ करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.1 लेखांकन प्रणाली

निदेशक, शहरी विकास के निर्देशानुसार (अप्रैल 2009) शहरी स्थानीय निकायों से लेखांकन की दोहरा लेखन प्रणाली को अपनाया जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2018 एवं अगस्त 2019) की वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकायों तथा 2018-19 के दौरान नमूना-जांच किये गए 14 शहरी स्थानीय निकायों ने उनके लेखे दोहरा लेखन प्रणाली में अनुरक्षित किए थे।

4.1.1 लेखों को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 एवं 253 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाए। नगरपालिका वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर उस वर्ष के लेखे तैयार करेगी। जैसे ही नगरपालिका द्वारा वार्षिक लेखे अंतिम रूप से पारित हो, वह उन्हें निदेशक (शहरी विकास) को प्रेषित करेगी।

वर्ष 2018-19 में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान चार[1] शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर व नेरचौक तथा नगर पंचायत भुन्तर) में पाया गया कि वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे जबकि उन लेखों को तैयार किया जाना एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएंगे जबकि सचिव, नगर पंचायत भुन्तर ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्यभार की अधिकता के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके।

---

[1] नगर निगम शिमला (2017-18 के लिए), नगर परिषदें सुजानपुर (2014-15 से 2017-18 के लिए) एवं नेरचौक (2016-17 से 2017-18 के लिए), एवं नगर पंचायत भुंतर (2014-15 से 2017-18 के लिए)।

लेखा अधिकारी, नगर निगम शिमला ने बताया (नवंबर 2018) कि लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक ने बताया (फरवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा।

4.2 बजट तैयार करना

अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्तीय वर्ष की अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं तथा तत्पश्चात समिति के सदन के समक्ष रखे जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित करने के पश्चात बजट आकलन निदेशक, शहरी विकास को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(i) वर्ष 2014-17 के लिए दो नगर निगमों, छः नगर परिषदों एवं चार नगर पंचायतों में बजट प्रावधान व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-15(i)** में दी गई है।

तालिका-15 (i): 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बजट की प्रतिशतता
2014-15	320.62	210.07	110.55 (-)	34
2015-16	265.25	181.68	83.57 (-)	32
2016-17	427.42	245.85	181.57 (-)	42

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-24(i)** में दी गई है।

तालिका-15 (i) से स्पष्ट है कि 2014-17 के दौरान 32 से 42 प्रतिशत तक निरंतर बचत हुई थी जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (मार्च 2019) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

(ii) वर्ष 2015-18 में दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों एवं पांच नगर पंचायतों में बजट प्रावधान की व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे **तालिका-15 (ii)** में दी गई है।

तालिका-15 (ii): 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बचत की प्रतिशतता
2015-16	417.11	203.68	213.43(-)	51
2016-17	530.19	213.41	321.35(-)	61
2017-18	591.48	225.99	368.90(-)	62

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-24(ii)** में दी गई है।

तालिका-15 (ii) से स्पष्ट है कि 2015-18 के दौरान 51 से 62 प्रतिशत तक की निरंतर बचत हुई जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप निधियों के अवरोधन हुआ जबकि यह राशि अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग की जा सकती थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (जनवरी 2021) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

4.3 कोटेशन आमंत्रित किए बिना सामग्री की खरीद

चार शहरी स्थानीय निकायों ने कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹ 9.79 लाख की लागत की विविध सामग्रियों की खरीद की।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) के नियम 97(1) में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोटेशन या बोलियों को आमंत्रित किए बिना प्रत्येक अवसर पर ₹3,000/- से अधिक का मौद्रिक मूल्य न हो, तक का सामान ख़रीदा जा सकता है, बशर्ते जो अधिकतम ₹50,000 तक हो सकता है। यदि मौद्रिक मूल्य ₹3,000/- से अधिक है और ₹1,00,000 तक है तो नियम 98 के अनुसार विधिवत गठित स्थानीय खरीद समिति की सिफारिश पर खरीद की जाएगी। ₹1,00,000 से अधिक की खरीद निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम धर्मशाला, नगर पंचायतें बंजार, भुन्तर एवं करसोग) ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹9.79 लाख[2] मूल्य की सीमेंट, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि जैसी

[2] नगर पंचायतें बंजार:₹1.74 लाख, करसोग: ₹1.11 लाख एवं भुंतर: ₹1.39 लाख; नगर निगम धर्मशाला: ₹5.55 लाख।

मदें/ सामग्री खरीदी। यह उक्त नियमों का उल्लंघन था। इससे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अलाभकारी खरीद की गई।

सम्बंधित अतिरिक्त आयुक्त/ सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2018-फरवरी 2019) कि उन मदों को तत्काल ख़रीदे जाने की आवश्यकता थी और इसलिए कोटेशन नहीं बुलाई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपातकालीन मामलों के अतिरिक्त साधारण परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना खरीद करने की अनुमति नहीं है।

4.4 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 57(3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के प्रावधान के अनुसार, नगर परिषद् को उन सभी अचल संपत्तियों का रजिस्टर और नक्शा बनाए रखना आवश्यक है, जो उसके स्वामित्व में है या जो उसके अधिकार क्षेत्र में है या जो राज्य सरकार के लिए ट्रस्ट में रखता है|

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था:

1) अचल संपत्तियां (नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में निहित अचल संपत्ति के नक्शे और सूची सहित)
2) प्रतिभूति रजिस्टर।
3) अग्रिम राशि रजिस्टर।
4) वर्गीकृत सार।
5) चिकित्सा दावों का रजिस्टर।
6) वाहन मरम्मत के रखरखाव का रजिस्टर।
7) निविदा प्रपत्रों का रजिस्टर।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि नगर पंचायतें सुन्नी व अर्की में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थापना के लिए वेतन बिल रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। उपर्युक्त शहरी स्थानीय निकायों में इन रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि भविष्य में अभिलेख का अनुरक्षण किया जायेगा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा को दिखाई जायेगी।

(ख) 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था:

1) स्टॉक और जारी करने का रजिस्टर
2) आवास कर (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
3) निष्पादित कार्यों से संबंधित एमएएस रजिस्टर
4) दुकान का किराया (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
5) मोबाइल टावर शुल्क रजिस्टर
6) विद्युत उपकर और शराब शुल्क रजिस्टर

यह पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधान की गैर-अनुपालना है और इससे सरकारी संसाधनों के दुरूपयोग की संभावना हो सकती है। इन रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना भी नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है। सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

4.5 राजस्व

4.5.1 बकाया आवास कर

(क) अप्रभावी निगरानी के कारण नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (2) में कहा गया है कि नगरपालिका को देय राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है, ऐसा न करने पर बकायादार की संपत्ति की कुर्की व बिक्री से सभी लागतों के साथ राशि की वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से आठ में, अप्रैल 2016 तक ₹4.47 करोड़ के आवास कर की वसूली बकाया थी जबकि 2018 19 में नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से नौ में ₹4.45 करोड़ के आवास कर की वसूली 1 अप्रैल 2017 तक बकाया थी। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ₹11.94 करोड़ (2016-17 में ₹6.17 करोड़ व 2017-18 में ₹5.77 करोड़) के आवास कर की मांग उठाई गई थी। कुल मांग ₹20.86 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹10.64 करोड़ एवं मार्च 2018 तक

₹10.22 करोड़) थी, जिसके प्रति ₹8.98 करोड़ (2016-17 में ₹3.06 करोड़ एवं 2017 18 में ₹5.92 करोड़) का संग्रहण किया गया था। नगर परिषद् कुल्लू एवं नगर पंचायत नादौन में 2018-19 में ₹0.08 करोड़ की छूट की अनुमति भी दी गई थी। इस प्रकार, ₹11.80 करोड़ के आवास कर (मार्च 2017 तक ₹7.58 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹4.22 करोड़) का कुल राजस्व इन शहरी स्थानीय निकायों में बकाया रहा। यह इंगित करता है कि लंबे समय से बकाया कर की वसूली के लिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे संबंधित शहरी स्थानीय निकाय ₹11.80 करोड़ **(परिशिष्ट-25)** के राजस्व से भी वंचित रहे जिसका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों में अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जा सकता था।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसंबर 2017-मार्च 2019) कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि बकाया कर भूमि विवाद के कारण था तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि निवासियों को कई बार बिल जारी करने के बावजूद निवासी आवास कर जमा नहीं कर रहे।

(ख) आवास कर लागू न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 एवं संख्या 1997/24 दिनांक 28/08/1997 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आगे जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर भवन व भूमि पर उन भवनों व भूमि के वार्षिक किराये मूल्य पर साढ़े सात प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत तक आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषदें सोलन एवं नालागढ़ नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं जैसे सड़कों, रास्तों, स्ट्रीट लाईट का रखरखाव, सफाई, कचरा संग्रहण आदि प्रदान कर रहे थे परन्तु नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आवास कर अधिरोपित नहीं किया था।

नगर परिषद् सोलन के मामले में, संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि आवास कर लगाने के संबंध में निदेशक, शहरी विकास के साथ किए गए पत्राचार पर नगर परिषद् के निर्वाचित सदन की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी तथा प्रस्ताव को सदन द्वारा इस दलील के साथ खारिज कर दिया गया था कि स्वच्छता/संरक्षण कर पहले से ही जमा किया जा रहा था।

हालांकि, सदन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को निदेशक, शहरी विकास ने खारिज कर दिया, जिन्होंने नगर निगम को आवास कर लगाने का निर्देश दिया।

नगर परिषद् नालागढ़ के मामले में यह पाया गया कि निर्वाचित सदन ने घरेलू भवनों को छोड़कर आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद नगर परिषद् ने किसी भी प्रकार के भवन (घरेलू/वाणिज्यिक) पर आवास कर नहीं लगाया। संवीक्षा में आगे पता चला कि नगर परिषद् ने वसूली योग्य राजस्व की राशि का आकलन करने के लिए नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आने वाले घरों (घरेलू/वाणिज्यिक) की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (जनवरी 2018) कि मामला पुनर्विचार के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को निदेशक, शहरी विकास द्वारा खारिज कर दिया गया था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नालागढ़ ने बताया (नवंबर 2017) कि आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तथा भवनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायतें ज्वाली एवं करसोग में जो अपने क्षेत्र में आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, कोई आवास कर नहीं लगाया गया था। इन नगर पंचायतों में 3,918 घर थे (नगर पंचायत करसोग: 952 घर व नगर पंचायत ज्वाली: 2,966 घर) जिन पर आवास कर नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायतों को राजस्व का काफी नुकसान हुआ।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि नगर पंचायत क्षेत्र के नवनिर्मित भवनों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में आवास कर अधिरोपित किया जाएगा।

(ग) आवास कर रजिस्टरों में ₹ 8.03 लाख की राशि की गलत प्रारंभिक शेष लेना

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें घुमारवीं, हमीरपुर और मनाली) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान आवास कर रजिस्टर में ₹8.03 लाख[3] की राशि प्रारंभिक शेष में कम ली गई थी। इन नमूना जांचित मामलों में नगर परिषदों ने ₹21.44 लाख के स्थान पर ₹13.41 लाख का प्रारंभिक शेष लिया था। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषद् की निधियों के दुरुपयोग का संदेह होता है।

[3] नगर परिषदें घुमारवीं: ₹5.92 लाख; हमीरपुर: ₹1.22 लाख एवं मनाली: ₹0.89 लाख।

संबंधित कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि आवास कर रजिस्टर की जांच की जाएगी तथा तदनुसार त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

4.5.2 किराए की वसूली न करना।

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय कोई राशि 15 दिनों तक बकाया रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव संबंधित व्यक्तियों को मांग का नोटिस दे सकते हैं।

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व एवं किराए पर दी गई दुकानों व स्टालों के किरायेदारों एवं पट्टेदारों से नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 में 2017-18 के दौरान अप्रैल 2016 तक ₹7.60 करोड़ **(परिशिष्ट-26)** का किराया शुल्क वसूली हेतु लंबित था जबकि 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 में ₹6.72 करोड़ का किराया शुल्क **(परिशिष्ट-26)** मार्च 2017 तक वसूली के लिए लंबित था। इसके अलावा, ₹9.56 करोड़ (2016-17 के दौरान ₹4.66 करोड़ और 2017-18 के दौरान ₹4.90 करोड़) की मांग उठाई गई थी। ₹23.88 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹12.26 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹11.62 करोड़) की कुल मांग के प्रति इन शहरी स्थानीय निकायों में ₹14.75 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹7.99 करोड़ और मार्च 2018 तक ₹6.76 करोड़) की वसूली लंबित छोड़ते हुए ₹9.13 करोड़ (2016-17 में ₹4.27 करोड़ व 2017-18 में ₹4.86 करोड़) की वसूली की गई। इससे शहरी स्थानीय निकायों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवंबर 2017-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है एवं राशि शीघ्र ही वसूल की जाएगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (फरवरी 2019) कि कुल्लू जिले की लोक अदालत की आम बैठक में सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि बकाएदारों को करीब एक वर्ष का अवसर प्रदान किया जाए तथा समान किश्तों में वसूली की जाए।

4.5.3 मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीकरण शुल्कों की वसूली न करना

नमूना जांचित-26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 द्वारा मोबाइल टावरों पर स्थापना एवं नवीकरण शुल्क की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹56.69 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित दरों पर मोबाइल संचार टावरों की स्थापना पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी -(आईटी) 2005 (विविध) 96 दिनांक 21 जून 2017 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के मामले में प्रति टावर ₹50,000 की दर से एक मुश्त स्थापन शुल्क एवं प्रति टावर ₹25,000 की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में क्रमशः ₹25,000 व ₹12,500 की दर संशोधित की।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 **(परिशिष्ट-27)** के दौरान नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 में 2004-17 के दौरान मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे, परन्तु संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने ₹56.69 लाख (मार्च 2017 तक ₹25.21 लाख व मार्च 2018 तक ₹31.48 लाख) के स्थापन एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं की थी। इससे शहरी स्थानीय निकायों को उनके राजस्व के देय हिस्से से वंचित रहना पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2017-18 में लेखापरीक्षित) ने बताया (नवंबर 2017-जनवरी 2018) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2018-19 में लेखापरीक्षित) ने बताया (दिसंबर 2018 - मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

4.5.4 बकाया तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास का किराया

छः शहरी स्थानीय निकायों में तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास किराए की वसूली लम्बित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹55.85 लाख की बकाया राशि थी।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 66 में नगरपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता कर, रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क, व्यापार कर आदि जैसा कोई भी टोल, कर या शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर एवं नगर पंचायत भुंतर) में 343 स्थलों/खोखाओं के आवंटियों से रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹41.35 लाख[4] की राशि बकाया थी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जिससे शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत करसोग में, नगर पंचायत के सदन द्वारा पथ विक्रेताओं की पहचान एवं आवंटित स्थल के लिए रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के संग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

उत्तर में सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि शहरी विक्रेता समिति का गठन नहीं किया गया था तथा तहबाजारी शुल्क के संग्रहण का मामला सदन में तय नहीं किया गया था।

(ग) नगर निगम शिमला के सदन के प्रस्ताव सं. 3 (21) दिनांक 23/04/12 के अनुसार ₹72,000/- प्रति वर्ष की दर से सिनेमा कर की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 में प्रावधान है कि यदि कर या शुल्क का भुगतान नियत तारीख के एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके हिस्से के लिए प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 2012-18 की अवधि के लिए नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में चल रहे दो सिनेमा हॉल (रिट्ज व शाही) के मालिकों से ₹11.94 लाख (₹6.41 लाख के ब्याज सहित) का सिनेमा कर बकाया था।

इस संबंध में नगर निगम शिमला द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 2018-19 के दौरान नगर परिषद् देहरा में यह पाया गया कि मार्च, 2015 तक ₹1.85 लाख का व्यापार कर वसूली के लिए लंबित था। इसके बाद, 2015-18 के दौरान व्यापारियों से ₹0.76 लाख की मांग की गई थी। ₹2.61 लाख की कुल मांग में से मार्च 2018 तक ₹2.20 लाख (कुल मांग का 84.29 प्रतिशत) के व्यापार कर को लंबित छोड़ते हुए

[4] नगर निगम शिमला: ₹0.40 लाख; नगर परिषद् सुजानपुर: ₹5.18 लाख एवं नगर पंचायत भुंतर: ₹35.77 लाख।

₹0.41 लाख की वसूली की गई। विवरण नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है:

तालिका 16: व्यापार कर का विवरण

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्तमान मांग (₹)	कुल (₹)	संग्रहण (₹)	बकाया शेष (₹)
2015-16	1,84,860.00	25,400.00	2,10,260.00	0	2,10,260.00
2016-17	2,10,260.00	25,400.00	2,35,660.00	0	2,35,660.00
2017-18	2,35,660.00	25,400.00	2,61,060.00	40,700.00	2,20,360.00
योग		**76,200.00**		**40,700.00**	

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण व्यापार कर का संग्रहण नहीं किया गया था तथा राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी।

(ड़) 2018-19 के दौरान नगर परिषद्, कुल्लू में यह पाया गया कि आठ महिलाएं मासिक किराए के आधार पर (1992/2003 से प्रभावी होकर लेखापरीक्षा की तिथि तक) कामकाजी महिला छात्रावास में रह रही थीं, जो कि नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में था। परन्तु छात्रावास के किराए का न तो रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया, न ही नगर परिषद् द्वारा मांग की गई। छात्रावास के किराये की कुल मांग ₹0.43 लाख (मार्च 2017 तक ₹0.32 लाख के प्रारंभिक शेष सहित) के प्रति मार्च, 2018 तक रहने वालों से ₹0.36 लाख की किराया राशि बकाया छोड़ते हुए 2017-18 के दौरान ₹0.08 लाख की वसूली की गई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए थे तथा किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, विभिन्न करों की वसूली न होने से शहरी स्थानीय निकाय उस राजस्व से वंचित रह गए जिसे अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सकता था।

4.5.5 लीज राशि की वसूली न करना

नगर निगम शिमला दुकानों व स्टालों से ₹1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम शिमला ने 153 पार्टियों को किराए के आधार पर दुकाने/स्टाल पट्टे पर दी थी। यह पाया गया कि अप्रैल 2016 तक ₹0.53 करोड़ की लीज राशि इन 153 दुकानों व स्टालों से वसूली हेतु लंबित थी। इसके बाद 2016-17 के दौरान ₹1.63 करोड़ की मांग उठाई गई थी। मार्च 2017 तक ₹1.74 करोड़ की वसूली को लंबित छोड़ते हुए ₹2.16 करोड़ की कुल मांग के प्रति ₹0.42 करोड़ की वसूली की गई। लीज राशि की वसूली में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसंबर 2017) कि लीज राशि की अल्प वसूली का मुख्य कारण स्टाफ की कमी थी तथा बकाया लीज राशी की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

4.5.6 लीज़ डीड का नवीकरण न करना

दुकानों के लीज़ डीड का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹5.35 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. एल एस जी-एफ (6)-1/85-IV दिनांक 21/12/2001 के परिच्छेद 5 के अनुसार नगरपालिका पहली बार में नगरपालिका द्वारा बनाए गए स्टालों/दुकानों को 25 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लीज पर नहीं देगा एवं हर पांच वर्ष के बाद लीज किराए में लीज पर हस्ताक्षर के समय ली जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि दो नगर परिषदों हमीरपुर व सुजानपुर में 24 दुकानों को पांच या दस वर्षों के लिए इस शर्त के साथ लीज़ पर दिया गया कि परिसर पहली बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और अवधि की समाप्ति के बाद लीज़ डीड पर हस्ताक्षर करने के समय ली जाने वाली राशि का 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत किराया वृद्धि कर इसे बढ़ाया जाएगा। यह पाया गया कि लीज़ डीड की वैधता दो माह से लेकर 108 माह तक की अवधि के मध्य समाप्त हो गई। लीज़ डीड की न तो अवधि बढ़ाई गई थी तथा न ही नगर परिषदों द्वारा दुकानों की दरों में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को ₹5.35 लाख[5] के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि लीज़ के नवीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि किराया रजिस्टर का सत्यापन किया जायेगा।

4.5.7 सरकारी कार्यालयों से ₹13.81 लाख की राशि के किराए की वसूली न करना

दो नगर परिषदों कुल्लू व नेरचौक में 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषदों के भवनों में क्रमशः 2004 एवं 2017 से सात कार्यालय[6] चल रहे थे। नगर परिषदों ने इन कार्यालयों को चलाने के लिए कोई किराया अनुबंध तैयार नहीं किया था। आगे यह भी पाया

[5] नगर परिषदें, हमीरपुर: ₹0.91 लाख एवं सुजानपुर: ₹4.44 लाख।

[6] नगर परिषदें कुल्लू: जिला चुनाव अधिकारी एवं नगर परिषद् नेरचौक: कोषागार कार्यालय, चुनाव कार्यालय, कल्याण कार्यालय, पशु चिकित्सा कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय।

गया कि नगर परिषद् कुल्लू ने ₹7,500/- प्रति माह किराया निर्धारित किया था तथा हर पांच वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। तदनुसार, मार्च 2019 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा ₹3.81 लाख (अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष के रूप में ₹10.54 लाख सहित) के किराए का भुगतान नहीं किया गया था। जबकि नगर परिषद्, नेरचौक ने विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करवाए गए स्थान के लिए न तो कोई किराया निर्धारित किया था एवं न ही ये कार्यालय फरवरी, 2019 तक नगर परिषद् को किसी प्रकार के किराए का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को इतने राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च, 2019) कि उपायुक्त कुल्लू ने इस परिसर के लिए किसी भी किराए का भुगतान करने से सीधे इनकार कर दिया था तथा इस बकाया किराए को माफ करने का मामला सक्षम प्राधिकारी के साथ उठाया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, नेरचौक ने बताया (फरवरी, 2019) कि बैठक में प्रस्ताव संख्या 14/2018 के तहत किराए की वसूली के मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण किराया वसूल नहीं किया जा सका।

4.5.8 विद्युत उपकर की वसूली न करना

शहरी स्थानीय निकाय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकर की वसूली करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के नियम 69 में प्रावधान है कि नगर पालिका क्षेत्र की सीमांतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा विद्युत के लिए विद्युत की खपत पर वसूली योग्य विद्युत उपकर की दर 20 पैसे प्रति ईकाई से अधिक नहीं होगी। विद्युत उपकर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा संग्रहित किया जाता है तथा सम्बन्धित नगर पालिका को चुकाया जाता है।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पिछले चार वर्षों अर्थात 2013-17 हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ₹11.19 लाख की राशि का विद्युत उपकर वसूल संग्र/हित नहीं किया था।

संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि स्टाफ की कमी के कारण विद्युत उपकर की वसूली नहीं की जा सकी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान चार शहरी स्थानीय निकायों[7] में यह पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकर की वसूली/ संग्रहण नहीं किया था। नगर पंचायतों के मामले में उपकर प्रारंभ से ही लम्बित था जबकि नगर परिषद् घुमारवीं में वर्ष 2017-18 हेतु देय बकाया थे। इस प्रकार, विद्युत कर की वसूली न होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को इतने राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि विद्युत उपकर की वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता के साथ मामला उठाया जाएगा। सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत उपकर एकत्र नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत बंजार ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्य की अधिकता के कारण विद्युत उपकर एकत्र नहीं किया जा सका।

4.5.9 नगर परिषद् सोलन द्वारा जल प्रभार का संग्रहण न करना

जल प्रभार का संग्रहण न करने से नगर परिषद् सोलन को ₹63.67 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि नगर पालिका को देय कोई राशि 15 दिनों के उपरांत भी चुकाई न गई हो तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों को मांग-नोटिस जारी कर सकते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान नगर परिषद् ने जल प्रभारों के लिए ₹63.67 लाख की राशि के बिल जारी किए थे परन्तु प्रभारों का संग्रहण जनवरी 2018 तक लम्बित था। नगर परिषद् सोलन ने उपर्युक्त निर्धारित तरीके से जल प्रभार की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार नगर परिषद् सोलन ने जल प्रभारों की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2018) कि बकायादार उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं तथा मामले को अगली बैठक में सामान्य सदन के समक्ष रखा जाएगा।

---

[7] नगर परिषद् घुमारवीं; नगर पंचायतें बंजार, ज्वाली एवं करसोग।

4.5.10 निधियों का संदेहास्पद दुरूपयोग

नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बही प्रविष्टियों में विसंगति ₹1.59 लाख के संदेहास्पद दुरूपयोग को दर्शाता था।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बहियों एवं रसीद बहियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ पर रसीद बहियों के अनुसार वास्तविक राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी। 2014-16 की अवधि हेतु, रोकड़ बही में वास्तविक प्राप्तियों (₹18,351) से कम राशि (₹14,079) की प्रविष्टि की गई थी गई जिसके परिणामस्वरूप बैंक खाते में कम राशि (₹4,272) जमा हुई। आगे यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ (पृष्ठ 7, 32, 35, 36, 39, 47, 59, 77, 110, 170, 179, 189, 190, 196) पर योग गलत थे, जिससे बैंक खाते में ₹8,727/- कम जमा हुए।

वर्ष 2015-16 की अवधि हेतु रोकड़ बही के भुगतान पृष्ठ पर अधिक राशि (₹17.57 लाख) की प्रविष्टि की गई, जबकि वाउचरों के अनुसार वास्तविक राशि (₹ 16.11 लाख) कम थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक से अधिक आहरण (₹1.46 लाख) हुआ। यह नगर परिषद् के वित्तीय लेनदेनों पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2017) कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किए जाएंगे तथा लेखापरीक्षा को अनुपालना दिखाई जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामले की जांच-पड़ताल की आवश्यक है तथा ₹1.59 लाख के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.6 निधियों का अवरोधन

4.6.1 अमृत के तहत ₹8.97 करोड़ की निधियों का अवरोधन

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) घरों को बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करता है तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण करता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सभी के लिए विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार करेगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् कुल्लू को जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास, शहरी परिवहन (गैर मोटर चालित) एवं पार्कों के लिए ₹12.97 करोड़ तथा सेवा स्तर सुधार योजना/व्यक्तिगत क्षमता निर्माण हेतु ₹0.25 करोड़ की राशि तीन किश्तों (अगस्त 2016 में ₹6.08 करोड़, मार्च, 2017 में ₹0.25 करोड़ व जुलाई, 2017 में ₹6.89 करोड़)

में अमृत योजना के तहत प्राप्त हुई। अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अमृत के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का नाम	**प्राप्त निधियां (₹ करोड़ में)**	**कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम/ जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**मार्च 2019 तक कार्य की स्थिति**
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	4.00	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (4.00)	पूर्ण
शहरी परिवहन (फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान)	0.25	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (0.25)	कार्य निरस्त किया गया तथा नगर परिषद् कुल्लू को एक वर्ष की अवधि के बाद राशि वापस की गई।
शहरी परिवहन (अंडरपास के प्रावधान से सम्बंधित कार्य)	0.25	लोक निर्माण विभाग कुल्लू (0.25)	अभी तक शुरू नहीं किया।
बरसाती पानी की निकासी	8.72	नगर परिषद्, कुल्लू	अभी तक शुरू नहीं किया।
शहरी परिवहन			फुटपाथों एवं पैदल पथों का विकास (कार्य सौंपा गया)
ग्रीन स्पेस एवं पार्क			पार्कों का विकास (कार्य सौंपा गया)
योग	**13.22**		

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ अनुमानों का अनुमोदन न होने के कारण इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 8.97 करोड़ (नगर परिषद् के पास ₹8.72 करोड़ + ₹0.25 करोड़ परियोजना रद्द होने के बाद लौटाए गए) की निधियां अवरुद्ध हुई बल्कि लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित किया गया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

4.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹2.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन

योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" नगरीय शहरों द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए 2015-2022 के दौरान दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के उद्देश्य से तथा शहरी स्थानीय निकायों व अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी पात्र परिवारों एवं लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई। मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे एवं/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी तथा लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम, धर्मशाला एवं नगर परिषद्, कुल्लू ने 2015-22 के दौरान 986 लाभार्थियों[8] को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा था तथा 2016-17 से 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹8.29 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इन निधियों में से केवल ₹5.11 करोड़ 420 लाभार्थियों को वितरित किए गए थे, जिनमें से 141 लाभार्थियों ने अपना घर पूरा कर लिया था एवं उन्हें योजना का पूरा लाभ मिला था। 279 लाभार्थियों ने प्लिंथ, लिंटेल और रूफ लेवल तक निर्माण कार्य आंशिक रूप से पूरा किया था। शेष 566 लाभार्थियों ने पक्का घर होने, नींव का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त धन न होने, भूमि विवाद आदि के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया था। साथ ही, निदेशक (शहरी विकास विभाग) के निर्देशानुसार, नगर निगम धर्मशाला ने विभाग को ₹70.00 लाख की राशि वापस कर दी थी। इसलिए, शेष ₹2.67 करोड़[9] (ब्याज सहित) लेखापरीक्षा की तिथि तक अवितरित रहे जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के पास निधि अवरुद्ध हुई एवं लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का चयन ठीक से नहीं किया गया था क्योंकि कुछ लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्के घर थे तथा पात्र लाभार्थियों के छूट जाने की संभावना रही।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अक्तूबर 2019) कि प्रेरित करने के गंभीर प्रयासों के बावजूद कुछ लाभार्थियों ने वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था, जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि 24 लाभार्थियों ने शीतकाल के कारण कार्य को रोक दिया जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा तथा 41 लाभार्थियों ने नये घर के निर्माण में रुचि न होने तथा आर्थिक समस्याओं के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था।

4.6.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को सहायता के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.10 के अनुसार, सड़क विक्रेताओं के विद्यमान बाजार में अवसरंचना में सुधार एवं बुनियादी सेवाएं प्रदान करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

---

[8] नगर निगम धर्मशाला: 895 लाभार्थी एवं नगर परिषद् कुल्लू: 91 लाभार्थी।

[9] नगर निगम धर्मशाला: ₹223.85 लाख एवं नगर परिषद् कुल्लू: ₹43.25 लाख।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग ने अगस्त, 2016 में विक्रेताओं के बाजार के विकास हेतु नगर निगम, धर्मशाला को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ जारी किए थे। नगर निगम ने इन निधियों को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बैंक खाते में रखा तथा उसके बाद इसे अधीक्षक अभियंता, हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) रक्कड़, धर्मशाला को फरवरी 2017 में सड़क विक्रेताओं के लिए बाजार के विकास एवं पूर्वनिर्मित बाजार के निर्माण हेतु जारी किया गया। हिमुडा ने ₹4.07 करोड़ की राशि का प्रारंभिक आकलन नगर निगम को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति की व्यवस्था की जाए तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु कुल अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हिमुडा के पास जमा करावाया जाए। नगर निगम ने सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति नहीं दी तथा भूमि की अनुपलब्धता का कारण बताते हुए अक्तूबर, 2018 में हिमुडा से राशि वापस करने का अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹1.00 करोड़ की राशि हिमुडा के पास निधि जारी होने से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (नवंबर 2018) तक 21 महीने के लिए अवरुद्ध रही बल्कि जनता को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित रहना पड़ा। यह नगर निगम धर्मशाला की अनुचित कार्य-योजना को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (नवंबर, 2018) कि प्रस्तावित स्थलों पर भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा विक्रेता बाजार विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी संहितागत औपचारिकताएं निधि जारी करने से पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

4.6.4 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.75 करोड़ की राशि तीन शहरी स्थानीय निकायों में अवरुद्ध रही।

(क) कार्य सौंपने की अवधि 2010-15 हेतु 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करना शामिल है। 13वें वित्त आयोग से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों के पोषण के लिए राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना अपेक्षित था।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने नगर परिषद् घुमारवीं को 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत ₹35.09 लाख का अनुदान जारी किया था। कुल राशि में से नगर परिषद् द्वारा मार्च, 2018 तक ₹6.49 लाख का व्यय किया गया था। इसके अलावा, शेष राशि का न तो नगर परिषद् द्वारा उपरोक्त अवधि में उपयोग किया गया एवं न ही निधियन एजेंसी को वापस किया गया जबकि आयोग की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹28.60 लाख की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि जनता भी अनुदान के अभीष्ट लाभों से वंचित रह गई।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसम्बर, 2018) कि नगर परिषद् के लिए गौ सदन के निर्माण हेतु अनुदान प्रस्तावित था परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि की उपलब्धता हेतु संहितागत औपचारिकताएं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले पूर्ण की जानी चाहिए थी। यदि नगर परिषद् क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं थी तो उक्त राशि अविलम्ब स्वीकृति प्राधिकारी को हस्तान्तरित की जानी चाहिए थी। इस संबंध में अद्यतन स्थिति नगर परिषद् घुमारवीं से मांगी गई (जनवरी 2021) परन्तु नगर परिषद् द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

(ख) 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग बुनियादी नागरिक सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, सड़कों के रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत ₹1.32 करोड़[10] की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹45.17 लाख का व्यय किया गया था। इन शहरी स्थानीय निकायों ने एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त कुल निधियों का केवल 34 प्रतिशत ही उपयोग किया। इस प्रकार, ₹86.75 लाख[11] की राशि का अवरोधन हुआ एवं मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग एवं ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

---

[10] नगर पंचायतें करसोग: ₹28.91 लाख एवं ज्वाली: ₹103.01 लाख।

[11] नगर पंचायतें करसोग: ₹28.37 लाख एवं ज्वाली: ₹58.38 लाख।

(ग) चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति के रखरखाव, वैधानिक व प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.95 करोड़[12] की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से ₹1.36 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार ₹3.59 करोड़[13] (कुल निधि का 73 प्रतिशत) की राशि अवरुद्ध हो गई तथा मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, परन्तु शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

4.6.5 विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का अवरोधन

कार्य पूर्ण/प्रारंभ न करने के कारण 26 शहरी स्थानीय निकायों में से बारह में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

(क) 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच में यह पाया गया कि 2014-17 के दौरान 32 विकास कार्यों जैसे रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, शेड, रास्तों की मरम्मत, सराय भवन, कार्यालय का निर्माण/पुनर्स्थापन, पार्किंग, पार्क आदि के निर्माण के लिए ₹9.46 करोड़[14] की राशि उपलब्ध थी। इन कार्यों को छ: माह से एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। तथापि, जनवरी 2018 तक इन कार्यों के निष्पादन पर इन निधियों से कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2017-जनवरी 2018) कि संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न करने, भूमि विवाद, वन भूमि की संलिप्तता, भूमि अधिग्रहण का हस्तांतरण न होने आदि के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका और कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

---

[12] नगर पंचायतें करसोग: ₹195.43 लाख एवं ज्वाली: ₹299.75 लाख।

[13] नगर पंचायतें करसोग: ₹146.09 लाख एवं ज्वाली: ₹213.66 लाख।

[14] नगर परिषद् मंडी: ₹18.60 लाख (12 कार्य), नगर पंचायतें भोटा: ₹50.00 लाख (01 कार्य), सुन्नी: ₹20.00 लाख (01 कार्य), बैजनाथ: ₹2.00 करोड़ (01 कार्य); एवं नगर निगम धर्मशाला: ₹6.57 करोड़ (17 कार्य)।

(ख) 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से सात में पाया गया कि 2012-18 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, केंद्रीय सड़क निधि, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पार्किंग, पार्क, शेड, रिटेनिंग वॉल, पक्का रास्ता, श्मशान घाट, सराय, सीवरेज कार्य आदि के निष्पादन हेतु ₹5.13 करोड़[15] की राशि प्राप्त की गई। तथापि, मार्च 2019 तक विभिन्न कारणों[16] से इन कार्यों के निष्पादन पर निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया था जबकि नगर पंचायत ज्वाली में जनवरी 2019 तक नागरिक सुविधाओं एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यों पर ₹7.17 लाख की निधि का उपयोग किया गया था तथा ₹1.69 करोड़ की शेष निधि कार्य पूर्ण न होने के कारण नगर पंचायत के पास अव्ययित रही। विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹5.06 करोड़ की निधियां अवरूद्ध होने के साथ-साथ लाभार्थी इन विकास कार्यों से अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें घुमारवीं एवं देहरा) ने बताया (दिसंबर 2018-जनवरी 2019) कि भूमि मामला/विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य प्रगति पर था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक एवं सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत ज्वाली ने बताया (जनवरी 2019) कि निधियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका तथा अन्य कार्य स्टाफ की कमी के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों की स्वीकृति तथा निधि जारी करने से पूर्व संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

4.6.6 सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी विकास विभाग ने नमूना-जांचित दो शहरी स्थानीय निकायों[17] को सीवरेज योजनाओं के निष्पादन के लिए 2014-17 के दौरान ₹4.41 करोड़ की निधियां जारी की। इन निधियों को

---

[15] नगर परिषदें नेरचौक: ₹35.25 लाख, घुमारवीं: ₹1.60 करोड़, कुल्लू: ₹25.00 लाख, मनाली: ₹60.00 लाख, देहरा: ₹4.00 लाख, एवं नगर पंचायतें करसोग: ₹38.04 लाख एवं ज्वाली: ₹1.91 करोड़।

[16] निविदा नहीं किए गए (25 कार्य), भूमि मामला/विवाद (03 कार्य), कार्य प्रगति पर (01 कार्य), निविदा प्रक्रिया (05 कार्य), निधि की कमी (01 कार्य) एवं कर्मचारियों की कमी (03 कार्य)।

[17] नगर पंचायत सुन्नी: ₹99.20 लाख एवं नगर परिषद् सोलन: ₹341.84 लाख।

आगे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं को निष्पादित करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जारी किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि जनवरी 2018 तक सीवरेज योजनाओं का कार्य या तो निष्पादित नहीं किया गया था (नगर पंचायत सुन्नी) अथवा अपूर्ण रहा (नगर परिषद् सोलन) तथा संबंधित नगर परिषदों के बैंक खातों में ₹4.41 करोड़ की राशि अवरूद्ध पड़ी थी एवं क्षेत्र की जनता को सीवरेज योजनाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (अगस्त 2021) कि सीवरेज योजना के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कोई निधियां जारी नहीं की गई एवं 2016-17 के बाद नगर परिषद् द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था जबकि सचिव, नगर पंचायत सुन्नी ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर पंचायत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मौखिक अनुरोध तथा पत्राचार करने जैसे अपने सभी प्रयास कर रहा था, परन्तु सीवरेज कार्य अभी भी लंबित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां जारी होने की तिथि से चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शहरी स्थानीय निकायों के पास निधियां अवरुद्ध पड़ी थी।

4.6.7 बगीचों के निर्माण के लिए प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करने की दिशा में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बगीचों की निर्माण हेतु एक नीति (2015-16) बनाई थी। इस नीति के तहत परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था तथा शेष राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जानी थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने 2016-18 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में बगीचों के निर्माण के लिए ₹95.00 लाख[18] की राशि जारी की। यह पाया गया कि निधियां जारी करने की तिथि से छ: माह से एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया परन्तु दोनों शहरी स्थानीय निकाय उक्त कार्यों के लिए स्थल निश्चित नहीं कर सके तथा ₹1.42 करोड़ (₹95.00 लाख + ₹47.42 लाख के बराबर अंश) की निधियां बैंक खातों में जमा रही। निधियों के अवरोधन ने जनता को बगीचे की अभीष्ट सुविधा से वंचित कर दिया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर निगम धर्मशाला में भूमि की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। अब ₹31.21 लाख

[18] नगर निगम धर्मशाला: ₹35.00 लाख एवं नगर पंचायत बैजनाथ: ₹60.00 लाख।

की राशि वन विभाग को उनकी अपनी भूमि पर बगीचे के निर्माण के लिए हस्तांतरित (29.07.2021) कर दी गई है जबकि सचिव, नगर पंचायत बैजनाथ ने बताया (जुलाई 2021) कि अगस्त 2018 में ₹20.00 लाख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे तथा दो बगीचों का निर्माण प्रगति पर था। भूमि की उपलब्धता के बिना या प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना निधियां जारी करने के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ।

4.7 निधियों का व्यपवर्तन

चार शहरी स्थानीय निकायों ने 2014-17 के दौरान ₹10.29 करोड़ की राशि के अनुदान का व्यपवर्तन किया।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक, शहरी विकास ने वर्ष 2014-17 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत तीन शहरी स्थानीय निकायों[19] को ₹15.24 करोड़ की निधियां इस निर्देश के साथ जारी की, कि जिस प्रयोजन हेतु ये अनुदान संस्वीकृत/प्रदान किया गया था उसी हेतु इनका उपयोग किया जाए। राज्य वित्त आयोग ने इस अनुदान की अनुशंसा परिसम्पत्तियों (सड़कें, सड़क की विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों, बागों, कार्यालय भवनों, टाउन हॉल, नालियों इत्यादि) के रखरखाव, वैधानिक एवं प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय हेतु की थी। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों ने वेतन एवं भत्ते, पेंशन एवं ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं भविष्य निधि के भुगतान पर ₹9.48 करोड़ की राशि का व्यय किया जो कि चौथे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित घटकों में सम्मिलित नहीं थे।

सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि निधियों की कमी के कारण अनुदानों का उपयोग उक्त प्रयोजनों हेतु किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विकासात्मक अनुदानों का उपयोग पेंशन/ग्रेच्युटी तथा वेतन व भत्तों के भुगतान में करना नियमों के विरुद्ध था।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर पंचायत बैजनाथ ने 2015-16 के दौरान निदेशक, शहरी विकास से नव कार्यालय भवन में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण व संरचना हेतु ₹1.00 करोड़ की निधियां प्राप्त की थी। संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ने निधियां जारी होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत

[19] नगर परिषदें हमीरपुर: ₹7.50 करोड़, मंडी: ₹7.08 करोड़ एवं नगर पंचायत भोटा: ₹0.66 करोड़।

जाने के उपरांत भी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित नहीं की थी। इसके स्थान पर नगर पंचायत ने ₹0.81 करोड़ का व्यय स्टाफ के वेतन, सफाई तथा अन्य कार्यालय के खर्चों पर कर दिया जो कि अनियमित था।

सम्बन्धित सचिव ने बताया (जनवरी 2018) कि नगर पंचायत बैजनाथ को कोई सम्पत्ति सौंपी नहीं गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जाना चाहिए था।

निधियों के अनियमित व्यपवर्तन का उक्त दृष्टांत निधियों के खराब प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वेतन/ पेंशन/ग्रेज्युटी का प्रावधान उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।

4.8 अलाभकारी व्यय तथा लाभार्थी अंश की वसूली न करना

नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2005 के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम चिह्नित शहरी क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एवं स्लम का समग्र विकास करने के लिए शुरू किया गया। दिशा निर्देशानुसार भारत सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व स्लम के प्रत्येक आवासों का सर्वे करना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर परिषद् नालागढ़ ने योजना के तहत चिह्नित शहरी गरीबों के लिए 128 आवासों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई थी। इन आवासों के निर्माण के लिए निदेशक, शहरी विकास ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह-सचिव, हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण को ₹5.46 करोड़ राशि की निधियां दो किश्तों में (फरवरी 2010: ₹2.57 करोड़ एवं अप्रैल 2013: ₹2.89 करोड़) जारी की थी। हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण ने इन आवासों (प्रति निवास इकाई निर्माण लागत: ₹4.27 लाख) का निर्माण पूर्ण किया तथा फरवरी 2016 में इसे नगर परिषद् नालागढ़ को सौंप दिया। यह पाया गया कि 128 आवासों में से नगर परिषद् नालागढ़ ने चिह्नित शहरी गरीबों के लाभार्थियों को मात्र 55 आवास प्रत्येक लाभार्थी से ₹1.87 लाख की राशि प्राप्त करने के पश्चात् आवंटित किए। शेष 73 आवासों (अगस्त 2021) का आवंटन न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़

(₹4.27 लाख x 73) का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ (₹1.87 लाख x 73) का लाभार्थी अंश उन लाभार्थियों से जिन्हें ये आवास आवंटित होने थे वसूले नहीं गए।

कार्यकारी अधिकारी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि शेष 73 आवासों के लिए टेंडर मांगा गया था। तथापि तथ्य यह है कि नगर परिषद् पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इन आवासों को आवंटित करने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त समय बीतने के साथ परिसम्पत्तियों का क्षय हुआ।

4.9 ₹ 11.55 लाख का अलाभकारी व्यय

नगर पंचायत भुंतर द्वारा ₹11.55 लाख की राशि का निष्फल व्यय किया गया।

कार्य नियमावली के अनुसार, लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं अभीष्ट लाभार्थियों को समय पर कार्य का लाभ प्रदान करने हेतु निष्पादन के लिए लिया गया कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत, भुंतर में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने जुलाई 2017 में पार्क के निर्माण के लिए ₹20.00 लाख की राशि जारी की थी। निर्माण के लिए दो महीने की निर्धारित अवधि के साथ मार्च 2018 में एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था। इन निधियों में से ₹11.55 लाख पार्क के निर्माण पर व्यय किया गया था, परन्तु कार्य जुलाई 2021 तक पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार, पार्क के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹11.55 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि ₹8.45 लाख की राशि का अवरोधन भी हुआ। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की जनता पार्क के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डंपिंग साइट, पिरडी में कचरा डंप करना बंद करवा दिया था तथा इसलिए किसी अन्य स्थल के अभाव में कचरा पार्क के दूसरे छोर पर डंप किया जा रहा था। अन्य डंपिंग साइट को अंतिम रूप देने के बाद पार्क का शेष कार्य पूरा किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत ने पार्क के निर्माण को पूरा करने के लिए कचरा डंप करने हेतु अन्य स्थल को अंतिम रूप देने का प्रयास नहीं किया।

4.10 अलाभकारी व्यय एवं भारत सरकार के अनुदान का व्यपगत होना

राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु आवास इकाइयां अपूर्ण रही तथा ₹23.32 करोड़ का अनुदान व्यपगत हो गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, शिमला ने राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु ₹33.99 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹27.62 करोड़; राज्यांश: ₹4.39 करोड़; शहरी स्थानीय निकाय का अंश: ₹0.50 करोड़ एवं लाभार्थी अंश: ₹1.48 करोड़) के लिए आरंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की, जिसे आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई (मार्च 2013)। परियोजना में तीन मुख्य घटक सम्मिलित थे- तीन कार्य स्थलों पर आवासीय परिसर का निर्माण (300 आवासीय इकाइयां जिसमें से 224 लाभार्थी आवासीय इकाइयां थी जबकि 76 किराए पर दी जाने वाली आवासीय इकाइयां थी), सामुदायिक केन्द्र तथा शिशु पार्क। प्रति आवासीय इकाई की अनुमानित लागत ₹10.12 लाख (बुनियादी ढांचे की लागत सहित) थी एवं लाभार्थी हिस्सेदारी ₹0.66 लाख प्रति इकाई निर्धारित की गई। कार्य को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-17) के दौरान मिशन मोड में पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

यह पाया गया कि 296 आवासीय इकाइयों, सामुदायिक केन्द्र व शिशु पार्क के निर्माण कार्य को ₹32.57 करोड़ की टेंडर लागत पर अलग-अलग ठेकेदारों को सौंपा गया जिसके प्रति राज्य सरकार ने यह निर्धारित करते हुए कि कार्य दो से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाए ₹10.67 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹9.21 करोड़ व राज्यांश: ₹1.46 करोड़ की राशि नगर निगम शिमला को जारी की थी। अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि वर्ष 2013-18 के दौरान मात्र ₹4.93 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ठेकेदारों ने कार्यों को पूर्ण नहीं किया (शिशु पार्क के निर्माण को छोड़कर) आगे यह पाया गया कि अधूरे कार्य के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत ठेका अनुबंध के खण्ड-3 के तहत अपेक्षित कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम शिमला ने निदेशक, शहरी विकास से ₹23.32 करोड़ का शेष अनुदान जारी करने के मामले को उठाने का अनुरोध किया था (अगस्त 2017)। इस प्रकार जो परियोजना वर्ष 2013-17 के दौरान पूर्ण की जानी निर्धारित थी वह अभी भी अपूर्ण थी तथा ₹23.32 करोड़ के भारत सरकार के शेष अनुदान के व्यपगत हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कृष्णा नगर क्षेत्र के स्लम निवासियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, जैसी परिकल्पना की गई थी। यहां लम्बे विलम्ब के कारण लागत वृद्धि की भी संभावना थी जो राज्य कोषागार व सम्बन्धित लाभार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी।

मामला नगर निगम को भेजा गया था (दिसम्बर 2017), लेकिन कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.11 वेतन पर व्यर्थ व्यय

नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पुस्तकालय न होने के बावजूद यहां नियुक्त पुस्तकालय सहायक के वेतन पर ₹15.95 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने नव निर्मित पद पर पुस्तकालय सहायक की सेवाएं नियमित की थी (अगस्त 2007)। पुस्तकालय सहायक ने 23.08.2007 को कार्य ग्रहण किया। पुस्तकालय सहायक को वेतन के एवज में ₹15.95 लाख की राशि का भुगतान किया गया (अगस्त 2007 से नवम्बर 2017)। यह पाया गया कि पदाधिकारी की सेवाएं बतौर पुस्तकालय सहायक नहीं ली जा रही थी क्योंकि नगरोटा बागवां में कोई पुस्तकालय नहीं था।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग अन्य गतिविधियों में लिया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना किसी पुस्तकालय के पुस्तकालय सहायक की नियुक्ति अनियमित थी। सक्षम प्राधिकारी को मामले की समीक्षा करनी चाहिए।

4.12 ₹34.09 लाख अधिभार सहित विद्युत के बिलों की देयता

विद्युत के बिल को समय पर न चुकाने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत भुंतर पर अधिभार सहित ₹34.09 लाख की राशि की अनावश्यक देयता हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (बी) (3) में प्रावधान है कि किए गए सभी प्रभार हेतु एक ही बार में आहरण एवं भुगतान किया जाए एवं उन्हें निधियों के अभाव में एवं दूसरे वर्ष के अनुदान से चुकाने के लिए रोका न जाए और यह कि यथासंभव निर्विवाद रूप से बकाया राशि के भुगतान के लिए रखा न जाए तथा यह कि सभी अपरिहार्य भुगतानों का पता लगाया जाए एवं यथाशीघ्र संभव तिथि पर परिसमापन किया जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत भुंतर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मार्च 2017 माह हेतु अधिभार सहित ₹37.42 लाख की राशि के स्ट्रीट लाईट के विद्युत बिल (पिछले बकाया बिलों से लगातार) सहायक अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत उपमंडल, भुंतर द्वारा जारी किए गए थे। नगर पंचायत ने इन बिलों के प्रति दिनांक 17.03.2017 एवं 24.03.2017 को क्रमश: ₹1.00 लाख व ₹7.00 लाख जमा किए तथा ₹29.42 लाख की शेष राशि छोड़ दी। सहायक अभियंता ने सितंबर, 2018 में फिर से ₹34.09 लाख (₹0.67 लाख के अधिभार सहित) के विद्युत बिल जारी किए, परन्तु नगर

पंचायत फरवरी 2019 तक इसे जमा करने में विफल रही। इस प्रकार, विद्युत बिलों को जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल नगर पंचायत पर अनावश्यक देयता हुई बल्कि ₹0.67 लाख के अधिभार का अधिक भुगतान भी हुआ।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019/ जुलाई 2021) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर (लगभग पिछले 10 वर्षों से लंबित) का भुगतान न करने के कारण विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की गई। यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपकर की वास्तविक राशि की सूचना दी जाती है, तो बिल की शेष राशि का भुगतान यथाशीघ्र किश्तों में किया जाएगा।

4.13 नियमों का उल्लंघन - कार्यों का विभाजन

अप्रैल 2012 में जारी निर्देशों के साथ पठित लोक निर्माण विभाग के आदेशों की नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 6.44 में प्रावधान है कि ई-टेंडरिंग, प्रेस के माध्यम से प्रकाशन या उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए कार्य/परियोजना का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवंबर, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए ₹14.40 लाख की राशि के चार कार्य[20] तीन ठेकेदारों को सौंपे गए थे। इन कार्यों में से प्रत्येक को व्यापक प्रचार से बचने तथा उच्च अधिकारी की अनुमति से बचने के लिए दो कार्यों में विभाजित किया गया। कार्यों का विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकतम प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में ठेकेदारों को अनुचित लाभ के देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सचिव ने बताया (फरवरी, 2019) कि कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामले को निदेशक, शहरी विकास के साथ उठाया जाएगा।

4.14 ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न करना

वित्तीय नियमावली में यह अपेक्षित है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

---

[20] विश्राम गृह से विमला खड्ड तक नाली एवं झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना, पी.एन.बी. से पवन स्टूडियो की ओर झंझरी उपलब्ध करना एवं लगाना, श्री हितेश के घर से श्री मस्तराम के घर तक टाईल फर्श उपलब्ध कराना एवं बिछाना और कृष्णा परिसर से फेस-2 और 3 की ओर झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी विकास विभाग से नगर पंचायत करसोग एवं नगर परिषद् देहरा ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान सड़क/शौचालय के निर्माण व सीवरेज कार्य के लिए क्रमश: ₹22.41 लाख और ₹3.75 करोड़ प्राप्त किए। निधियां 2016 17 से 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बीडीओ कार्यालय, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग) को जारी की गई। आठ से 32 माह बीत जाने के बाद भी फरवरी 2019 तक इन कार्यों से संबंधित ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी स्थानीय निकायों ने प्राप्त नहीं किए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि तक नगर पंचायत करसोग ने भौतिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की थी। नगर परिषद् देहरा के मामले में, सीवरेज योजना के तहत कार्य के लिए भौतिक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिससे पता चला कि जनवरी 2019 तक कुल कार्य का केवल 75 प्रतिशत ही पूरा किया गया। परिणामतः क्षेत्र की जनता योजनाओं के अभीष्ट लाभों से वंचित रही।

सचिव, नगर पंचायत करसोग तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र तुरंत प्राप्त किए जाएंगे।

4.15 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना हुआ अनियमित व्यय

नगर परिषद् मनाली ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹37.00 लाख का अनियमित व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्माण नियम, 2010 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि कोई भी मूल/मरम्मत कार्य जिसमें ₹50,000/- से अधिक का व्यय हो, नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् मनाली में 2017-18 के दौरान सड़क की मरम्मत एवं कचरा डंपिंग साइट के विस्तार के तीन कार्यों पर ₹37.00 लाख का व्यय किया गया था। प्रत्येक मामले में राशि ₹50,000/- से अधिक थी, परन्तु नगर परिषद् ने इन व्ययों के लिए सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹37.00 लाख का व्यय अनियमित एवं पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता से प्राप्त की गई थी, परन्तु सहायक अभियंता (नगर पालिका) के पास

₹10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार था एवं प्रत्येक कार्य की लागत ₹10 लाख से अधिक थी।

4.16 अग्रिमों का समायोजन न करना

छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 (1) से (4) के अनुसार, विभागाध्यक्ष, किसी सरकारी कर्मी को वस्तुओं की खरीद या सेवाओं को लेने या किसी अन्य निर्धारित विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है। आगे इस नियम में प्रावधान है कि समायोजन बिल के साथ यदि कोई शेष है, तो उसे अग्रिम आहरण के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाए। दूसरे अग्रिम को प्रदान करने की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मी पिछले अग्रिम का समायोजन लेखा जमा नहीं कर देता।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर परिषदों (नालागढ़ व सोलन) में, 1999-2017 के मध्य 20 सरकारी कर्मियों/विभागों को विकासात्मक कार्यों, स्थापना व्ययों, स्टोर हेतु खरीद इत्यादि को करने हेतु संस्वीकृत किए गए ₹1.09 करोड़ के अस्थाई/ आकस्मिक अग्रिम जनवरी 2018 तक, एक से 18 वर्षों की अवधि **(परिशिष्ट-28)** से अधिक समय तक समायोजन हेतु लम्बित थे। आगामी अग्रिम पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना दिए जाते रहे। नगर परिषद् नालागढ़ में दो कर्मी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए, परन्तु दिसम्बर 1999 से जुलाई 2012 के मध्य उनको प्रदान की गई ₹3.33 लाख की राशि के अग्रिमों के समायोजन बिल न तो उन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति के समय जमा किए और न ही विभाग द्वारा समायोजित किए गए।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान विभिन्न विभागों को अलग-अलग उद्देश्यों हेतु (लोक निर्माण कार्यों, स्टोर सामग्री, परियोजना, योजना, अस्थाई अग्रिमों, स्ट्रीट लाईट, जल-आपूर्ति इत्यादि विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत) ₹31.03 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम नगर निगम ने संस्वीकृत किए थे, जो दिसम्बर 2017 तक समायोजन **(परिशिष्ट-28)** हेतु लम्बित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना विभागों को आगामी अग्रिम दिए जाते रहे। आगे यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान संस्वीकृत की गई ₹17.68 करोड़ की अस्थाई अग्रिम राशि दिसम्बर 2017 तक समायोजन हेतु लम्बित थी तथा नगर निगम के पास इन अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं

थे। पर्याप्त राशि के अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित संहितागत प्रावधानों को लागू करने में नगर निगम की शिथिलता को दर्शाता है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान तीन शहरी स्थानीय निकायों[21] में लेखापरीक्षा ने पाया कि छः सरकारी कर्मियों को 2015-16 व 2017-18 के मध्य ₹9.42 लाख **(परिशिष्ट-28)** के अस्थायी/आकस्मिक अग्रिम स्वीकृत किए गए। अग्रिम विकास कार्यों हेतु दुकानों की खरीद, स्थापना व्यय, घर-घर कचरा संग्रहण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए गए थे जो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक ऐसे अग्रिम प्रदान करने की तिथि से 17 से 43 महीने से अधिक की अवधि के लिए समायोजन के लिए लंबित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना कर्मियों को आगामी अग्रिम दिए गए। यह अग्रिमों के समायोजन के संबंध में संहितागत प्रावधानों को लागू करने में इन शहरी स्थानीय निकायों की शिथिलता को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली) ने बताया (दिसम्बर 2018-मार्च 2019) कि बकाया अग्रिमों को तत्काल समायोजित/ वसूल किया जायेगा।

4.17 फर्मों को ₹6.69 लाख की राशि का अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 103 में प्रावधान है कि ₹10 लाख तक की वस्तुओं की खरीद के लिए सीमित निविदा प्रणाली अपनाई जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषद् देहरा व नगर पंचायत ज्वाली) में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ज्वाली ने 2016-17 के दौरान फर्म 'हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, देहरा' से ₹3.32 लाख की राशि के कूड़ेदान खरीदे थे। इसी प्रकार 2014-15 से 2016-17 के दौरान नगर परिषद् देहरा ने 'प्लान फाउंडेशन, ब्रॉडवे एन्क्लेव, संजौली, शिमला' नामक एक फर्म को आवास कर निर्धारण कार्य, सर्वेक्षण, सॉफ्टवेयर के विकास एवं उसके नवीनीकरण के संबंध में सेवाएं प्राप्त करने हेतु कार्य पर लिया तथा इस दौरान इस फर्म को ₹3.37 लाख का भुगतान किया।

दोनों ही मामलों में खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की राशि ₹1.00 लाख से अधिक थी, परन्तु इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी। यह पूर्वोक्त नियम के

[21] नगर निगम धर्मशाला; नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली।

प्रावधानों का उल्लंघन था। निविदाएं आमंत्रित नहीं करने से शहरी स्थानीय निकाय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लाभ से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, विशेष फर्मों को अनुचित लाभ देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी 2019) कि तत्काल आधार पर कार्य पूर्ण करने के कारण निविदा नहीं मांगी गई जबकि सचिव, नगर पंचायत ज्वाली ने बताया (जनवरी 2019) कि खरीद के समय कार्यालय ढांचा, कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तथा स्टाफ की कमी के कारण नगर पंचायत निविदा आमंत्रित करने में विफल रहा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खरीद की वित्तीय प्रक्रियाओं को तब तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि ठोस कारण न हो तथा ऐसी परिस्थितियों में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीद नियमों के अनुसार अनुमत है।

4.18 सामग्री का लेखांकन न करना

नगर परिषद्, हमीरपुर ने ₹1.14 लाख की सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 135 में प्रावधान है कि सामग्री की सुपुर्दगी के समय जिम्मेदार सरकारी कर्मी द्वारा प्राप्त की गई सामग्री की, सामग्री के अनुसार जांच, गणना, माप एवं तौल की जाए तथा उसे यह देखना चाहिए कि सामग्री की मात्रा सही है और गुणवत्ता अच्छी है। सामग्री की प्राप्ति रसीद का प्रमाणपत्र दर्ज किया जाए एवं उचित रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि भरी जाए।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् हमीरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ₹1.14 लाख की लागत से खरीदी गई सीमेंट बोरियां व नाली कवर संगत स्टोर व स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किए गए थे। अतः चोरी या हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह नगर परिषद् के खराब अभिलेख अनुरक्षण को दर्शाता है। उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि संगत प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टरों में कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित नगर परिषद् द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित जांच नहीं रखी गई थी।

4.19 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140(2) में प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष वर्ष में कम से कम एक बार अचल संपत्तियों, उपभोज्य वस्तुओं एवं निष्क्रिय स्टॉक या

अनुपयोगी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से या उसके द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 शहरी स्थानीय निकायों में से चार[22] में 1999 व 2018 के मध्य की अवधि हेतु स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, स्टोर/स्टॉक के भौतिक अस्तित्व को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन न करने के कारण, स्टोर की वस्तुओं के दुरुपयोग की संभावना है।

नगरपालिका अभियंता, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारियों (नगर परिषदें घुमारवीं एवं हमीरपुर) ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य की अधिकता के कारण स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका जिसे शीघ्र ही किया जायेगा जबकि आयुक्त, नगर निगम शिमला ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(ऋतु ढिल्लों)

शिमला **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),**

दिनांक: 10 मार्च 2022 **हिमाचल प्रदेश**

[22] नगर निगमें शिमला (1999 से) एवं धर्मशाला (2016-17 से); नगर परिषदें घुमारवीं (2011 से) एवं हमीरपुर (2006 से)।